राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1237/2024

यज्ञजीत सिंह चौहान पुत्र श्री मंजीत पाल सिंह चौहान, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 16, दयानंद कॉलोनी, लाडनू, जिला नागौर (राज.)।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, जयपुर के माध्यम से।
2. जिला कलेक्टर-सह-मजिस्ट्रेट, जिला नागौर।
3. जिला कलेक्टर-सह-मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना और कुचामन।

----प्रतिवादीगण

---

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी(गण) के लिए | : | श्री विजय बिश्नोई |
| प्रतिवादी(गण) के लिए | : | श्री एसएस लादरेचा, एएजी |
| | | श्री दीपक सुथार |
| | | श्री रवीन्द्र जाला |

---

**माननीय श्री न्यायमूर्ति दिनेश मेहता**

**आदेश**

**24/09/2024**

1. याचिकाकर्ता - एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय निशानेबाज, प्रतिवादियों की अवैध और मनमानी कार्रवाई के खिलाफ इस अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश है, जिन्होंने बिल्कुल अस्थिर आधार पर उसे हथियार लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है।

2. तथ्य यह है कि 13.12.2021 को याचिकाकर्ता ने निर्धारित आवेदन पत्र (ए-1) में हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। उसने अपना व्यवसाय 'खिलाड़ी'

के रूप में दर्शाया और हथियार विवरण के लिए बने कॉलम में उसने शॉटगन, डीबीबीएल, एसबीबीएल, डीबीएमएल, एसबीएमएल का उल्लेख किया।

3. उपरोक्त आवेदन के साथ याचिकाकर्ता ने 24.11.2021 का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ द्वारा जारी दिनांक 26.11.2021 का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया था, जिसमें प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता एक प्रसिद्ध निशानेबाज है और उसने 16.11.2019 से 30.11.2019 तक नई दिल्ली में आयोजित शॉटगन में 63 वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में भाग लिया है।

4. तथापि प्रतिवादियों ने उसे लाइसेंस नहीं दिया, जिसके लिए याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 9680/2022 (अनुलग्नक-8) के रूप में एक रिट याचिका प्रस्तुत की। उक्त रिट याचिका पर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 25.07.2022 को भान सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 7422/2022) के मामले में पारित दिनांक 24.05.2022 के निर्णय के आलोक में निर्णय लिया गया।

5. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता ने जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिन्होंने दिनांक 13.10.2022 के अपने आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यदि याचिकाकर्ता को लाइसेंस दिया जाता है तो इससे सार्वजनिक शांति और लोक कल्याण की सुरक्षा को खतरा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने माना कि शस्त्र अधिनियम, 1959 (जिसे आगे '1959 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 14(1)(बी)(ii) के अनुसार लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।

6. लाइसेंस देने के लिए अपने आवेदन की अस्वीकृति से व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बिश्नोई ने यह स्थापित करने के लिए कि याचिकाकर्ता एक राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज है और उसने न केवल राज्य बल्कि देश के लिए भी ख्याति अर्जित की है, राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन और अन्य संघों द्वारा याचिकाकर्ता को जारी किए गए विभिन्न प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के माध्यम से न्यायालय का मार्गदर्शन किया।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया कि 04.03.2024 को इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और प्रतिवादियों को अनंतिम

लाइसेंस (15.03.2024 से 30.05.2024 तक) देने का निर्देश दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता पेरिस में आयोजित होने वाले 2024 ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा था। इस प्रकार पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता को 20.03.2024 को एक अनंतिम हथियार लाइसेंस जारी किया गया, जो स्पष्ट रूप से खेल श्रेणी के लिए था, जिसमें "प्रसिद्ध निशानेबाज" दर्शाया गया था।

9. याचिकाकर्ता ने 'ब्रेटा 694 ट्रैप विद एडजस्टेबल स्टॉक एंड एक्सेसरीज' नामक हथियार आयात किया और अपने लाइसेंस में अपेक्षित प्रविष्टि के लिए आवेदन किया।

10. याचिकाकर्ता के अनंतिम लाइसेंस में संशोधन किया गया और याचिकाकर्ता द्वारा आयात किए गए हथियार का विवरण 25.04.2024 को लाइसेंस में शामिल किया गया।

11. याचिकाकर्ता को 21.06.2024 को अधिसूचित 22 वीं राजस्थान राज्य शूटिंग चैम्पियनशिप (शॉटगन), 2024 में भाग लेने के लिए उचित निर्देश मांगने के लिए एक और स्थगन आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा।

12. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और जिला कलेक्टर-सह-मजिस्ट्रेट, डीडवाना, जिला डीडवाना-कुचामन को पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा आत्मसमर्पण किए गए हथियार को जारी करने और 15.07.2024 से 19.07.2024 तक अनंतिम लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया, ताकि याचिकाकर्ता-आवेदक आगामी प्रतियोगिता में भाग ले सकें। उक्त आदेश पारित करते हुए, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित पुलिस स्टेशन में हथियार आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किया।

13. याचिकाकर्ता ने न्यायालय द्वारा आदेशित तिथि पर अपना हथियार आत्मसमर्पण कर दिया और फिर जब 11.08.2024 से 20.08.2024 के बीच निर्धारित 175 वीं भारतीय ओपन प्रतियोगिता शॉटगन (एनआर) इवेंट अगस्त 2024 की घोषणा की गई, तो उसे तीसरा स्थगन आवेदन प्रस्तुत करना पड़ा। दिनांक 07.08.2024 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने जिला कलेक्टर-सह-मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन को याचिकाकर्ता आवेदक को अनंतिम लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था।

14. आज, याचिकाकर्ता ने पुनः इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि प्रतिवादियों को लाइसेंस/अनंतिम लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया जाए, ताकि वह 67 वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैम्पियनशिप प्रतियोगिता (एनएससीसी) में भाग ले सके

और अभ्यास कर सके, जो 18.11.2024 से 10.12.2024 तक आयोजित होने वाली है।

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अंतरिम निर्देश प्राप्त करने के लिए बार-बार इस न्यायालय में आना पड़ता है और इस प्रक्रिया में, न केवल वह इस बात को लेकर असमंजस में रहती है कि उसे लाइसेंस जारी किया जाएगा या नहीं, बल्कि लाइसेंस और हथियार के अभाव में प्रतियोगिता के लिए तैयारी और अभ्यास करना भी उसके लिए कठिन होता है।

16. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को बार-बार आवेदन दायर करना पड़ता है, यह न्यायालय रिट याचिका पर स्वयं निर्णय करना उचित समझता है क्योंकि न तो याचिकाकर्ता के शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने के अधिकार को अनंत काल तक निलंबित रखा जा सकता है और न ही उसे बार-बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 13.10.2022 के आदेश द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी करने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करना पूरी तरह से अवैध और मनमाना है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता शस्त्र लाइसेंस के लिए हकदार है और याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के कारण, जिसमें उसके मामले को 1959 के अधिनियम की धारा 14(1)(बी)(ii) के प्रावधान द्वारा कवर किया जाना बताया गया है, तथ्यों के विपरीत है।

18. यह मानते हुए कि यह अनुमान लगाने का कोई कारण नहीं है कि याचिकाकर्ता को लाइसेंस प्रदान करने से सार्वजनिक शांति या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होगा, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आक्षेपित आदेश में दिए गए कारण बिल्कुल अनुचित हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि लाइसेंसिंग प्राधिकरण का अनुमान सनक और कल्पनाओं पर आधारित है और पूरी तरह से याचिकाकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि से प्रेरित है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि याचिकाकर्ता के खिलाफ न तो कोई आपराधिक मामला लंबित है और न ही वह कभी किसी तरह के अपराध में लिप्त रही है, प्रतिवादियों ने लाइसेंस देने के याचिकाकर्ता के अनुरोध को खारिज कर दिया है।

19. विद्वान वकील ने शस्त्र नियम, 2016 (जिसे आगे 'नियम 2016' कहा जाएगा) के नियम 36 (4) और 37 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और कहा कि याचिकाकर्ता एक उत्कृष्ट निशानेबाज है और नियम 36 और 37 के अनुसार शस्त्र लाइसेंस की हकदार है।

20. श्री लाद्रेचा, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक ऐसे परिवार से है जो अपराधियों के रूप में कुख्यात है और कई जघन्य अपराधों में लिप्त रहा है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि याचिकाकर्ता-आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाएगी।

21. हालांकि, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ऐसी कोई पिछली घटना बताने की स्थिति में नहीं थे, जो राज्य की आशंका को पुष्ट कर सके।

22. सुनवाई हुई।

23. लाइसेंस के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए, इस न्यायालय ने विचाराधीन संपूर्ण आदेश (दिनांक 13.10.2022) पढ़ा। यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 की उदासीनता देखकर स्तब्ध है - याचिकाकर्ता, एक प्रसिद्ध शूटर, को उसके स्वयं के प्रमाण-पत्रों और उसके पास मौजूद गुणों से पहचाने जाने के बजाय, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से पहचाना जा रहा है और उसे 'छद्म अपराधी' करार दिया जा रहा है, केवल इसलिए कि उसके पिता और चाचा (ताऊजी) विभिन्न अपराधों में शामिल थे।

24. इस न्यायालय की राय में, किसी नागरिक के अधिकारों पर निर्णय लेते समय, विशेष रूप से लाइसेंस जारी करने के संबंध में, अधिनियम की भावना, स्वयं के आचरण और उम्मीदवार के आपराधिक इतिहास को ही देखा जाना चाहिए। आवेदक का पारिवारिक इतिहास, विशेष रूप से तब, जब आवेदन खेल कोटे के तहत लाइसेंस के लिए हो, बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाता है।

25. यह न्यायालय प्रतिवादी संख्या 2 और अन्य अधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणी पर गंभीर आपत्ति जताता है, जिन्होंने इस तथ्य से अवगत होने के बावजूद कि आवेदक के खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है, उसके वैध अधिकार को केवल इसलिए अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि उसके पिता और चाचा खूंखार अपराधी रहे हैं।

26. बहस के दौरान, श्री बिश्नोई ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने जो हथियार खरीदा है - ब्रेटा 694 ट्रैप विद एडजस्टेबल स्टॉक एंड एक्सेसरीज एक घातक हथियार नहीं है और इसका उपयोग आमतौर पर खेल के उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उन्होंने दोहराया कि याचिकाकर्ता हथियार का उपयोग केवल खेल के उद्देश्यों के लिए करना चाहता है।

27. दिनांक 13.10.2022 के आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने देखा है कि याचिकाकर्ता के पिता, जो आनंद पाल के भाई हैं, जेल में हैं और आनंद पाल के गिरोह और राजू थेथ के गिरोह के बीच प्रतिद्वंद्विता के कारण, एक गैंगवार हो सकता है। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के निष्कर्ष से पता चलता है कि यदि याचिकाकर्ता को लाइसेंस दिया जाता है, तो इस बात की पूरी संभावना या प्रबल संभावना है कि वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होगी।

28. इस न्यायालय की राय में, जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा व्यक्त की गई आशंका न केवल निराधार है, बल्कि अनुचित भी है। नियम 2016 के नियम 36 और 37 में स्पष्ट रूप से उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शस्त्र लाइसेंस देने का प्रावधान है, बशर्ते कि भारतीय राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त हो। याचिकाकर्ता निस्संदेह एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है।

29. लाइसेंस देने से इंकार करने से संबंधित प्रावधान अधिनियम, 1959 की धारा 14 में समाहित हैं, जो इस प्रकार है:-

> "लाइसेंस देने से इंकार करना-(1) धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी, लाइसेंस देने वाला प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार कर देगा-
>
> (क) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के तहत लाइसेंस, जहां ऐसा लाइसेंस किसी प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोलाबारूद के संबंध में अपेक्षित है;
>
> (ख) अध्याय 2 के तहत किसी अन्य मामले में लाइसेंस,-
>
> (i) जहां ऐसा लाइसेंस किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपेक्षित है, जिसके बारे में लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि-
> (1) इस अधिनियम या किसी अन्य समय लागू कानून द्वारा किसी हथियार या गोलाबारूद को प्राप्त करने, अपने कब्जे में रखने या ले जाने से निषिद्ध है; या
>
> (2) वह विकृत चित्त का है; या
>
> (3) किसी भी कारण से इस अधिनियम के तहत लाइसेंस के लिए अयोग्य होना; या

(ii) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसा लाइसेंस देने से इनकार करना आवश्यक समझता है।

(2) लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी व्यक्ति को केवल इस आधार पर कोई लाइसेंस देने से इनकार नहीं करेगा कि ऐसे व्यक्ति के पास पर्याप्त संपत्ति नहीं है।

(3) जहां लाइसेंसिंग प्राधिकारी किसी व्यक्ति को लाइसेंस देने से इनकार करता है, वह ऐसे इनकार के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा और उस व्यक्ति को मांगने पर उसका संक्षिप्त विवरण देगा, जब तक कि किसी भी मामले में लाइसेंसिंग प्राधिकारी की राय में ऐसा विवरण देना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

30. 1959 के अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (ii) का अवलोकन, विशेष रूप से, उसमें प्रयुक्त शब्द 'आवश्यक' से पता चलता है कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी लाइसेंस देने से इंकार कर देगा जब वह ऐसा करना आवश्यक समझे, वह भी सार्वजनिक शांति की सुरक्षा या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए। प्रतिवादियों द्वारा आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियाँ सबसे पहले तो संयोगों और अनुमानों पर आधारित हैं - बिना किसी सामग्री के और दूसरी बात, ऐसी आशंका को लाइसेंस देने से इंकार करने के लिए आवश्यक परिस्थिति नहीं माना जा सकता। अभिव्यक्ति 'इसे आवश्यक समझे' का अर्थ सामान्य अभिव्यक्ति - 'इसे उचित या समीचीन समझे' से भिन्न है।

31. संसद द्वारा प्रयुक्त भाषा से पता चलता है कि लाइसेंस देने से इंकार कर दिया जाएगा जब लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसा करना 'आवश्यक' समझे। किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता कि लाइसेंस देने से इनकार करना आवश्यक है, जबकि याचिकाकर्ता एक प्रसिद्ध निशानेबाज ने खेल श्रेणी के तहत लाइसेंस मांगा है।

32. इस न्यायालय के अनुसार, खेलों में भाग लेना एक व्यवसाय की तरह है, शायद आनंद या प्रसिद्धि के लिए। इसलिए, प्रतिवादियों की ओर से आरोपित कार्रवाई न केवल मनमानी है, बल्कि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों पर भी आघात करती है।

33. याचिकाकर्ता को लाइसेंस देने से इनकार करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत उसके अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ता के साथ केवल उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव किया गया है।

34. याचिकाकर्ता को न तो उसके पिता की दोषीता के लिए दोषी ठहराया जा सकता है और न ही राज्य उसे उसके पिता के कृत्यों या अपराधों के साथ जीवन भर जारी रखने के लिए बाध्य कर सकता है, हालांकि उसकी कोई भूमिका नहीं थी।

35. इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

36. दिनांक 13.10.2022 का आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है और उसे अपास्त किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से दस दिन की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को लाइसेंस (अनंतिम नहीं) जारी करें।

37. सभी अंतरिम आवेदन तथा स्थगन याचिका का निपटारा किया जाता है।

**(दिनेश मेहता),जे**

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।